HOUSING AND LAND RIGHTS NETWORK

आवास और भूमि अधिकार संगठन (HLRN)

सारांश:

भारत का स्मार्ट सिटी मिशन: स्मार्ट किसके लिए? शहर किसके लिए?[1]

---

1. स्मार्ट सिटी मिशन: एक नज़र

शहरी असमानता और अपर्याप्त जीवन सुविधायों की पृष्ठभूमि में, स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) को जून 2015 में भारत सरकार द्वारा 2020 तक 100 'स्मार्ट शहर' बनाने के लिए शुरू किया गया था। हालांकि 'स्मार्ट सिटी' को सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, स्मार्ट सिटीज मिशन स्टेटमेंट और दिशानिर्देश ("SCM दिशानिर्देश") से संकेत मिलता है कि चुनी गयी 'स्मार्ट सिटी' को पर्याप्त पानी की आपूर्ति; आश्वस्त बिजली; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता; कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन; किफायती आवास, खासकर गरीबों के लिए; मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण; सुशासन, खासकर नागरिक भागीदारी; सतत पर्यावरण; नागरिकों की सुरक्षा; और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा।

जून 2017 तक, 90 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित किया गया है।[2]

'स्मार्ट शहरों' के चयन और कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने बहु-स्तरीय प्रतियोगिता प्रारूप के आधार पर विस्तृत प्रक्रिया विकसित की है। SCM दिशानिर्देशों के मुताबिक, एक स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में पह्चानित क्षेत्र के लिए एक प्रस्ताव होना चाहिए जिसमें या तो रिटॉफिटिंग या पुनर्विकास या हरित फ़ील्ड डेवलपमेंट फीचर, या इसके मिश्रण और 'स्मार्ट सॉल्यूशंस' के साथ एक पैन-सिटी वैशिष्ट्य भी होना चाहिए।

---

[1] अंगरेज़ी में ये पूरी रिपोर्ट इस लिंक पर उपलब्ध है, http://hlrn.org.in/documents/Smart_Cities_Report_2017.pdf

[2] अनुलग्नक 1 देखें

वित्तीय पोषण:

स्मार्ट सिटी मिशन को एक केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में संचालित किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा मिशन को पांच साल में 48,000 करोड़ रुपये, करीब प्रति वर्ष प्रति शहर 100 करोड़ रुपये औसत वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है| एक समान राशि, एक मेल के आधार पर, राज्य सरकार/ शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा योगदान किया जाएगा; इसलिए, सरकार / ULB धन का लगभग एक लाख करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के विकास के लिए उपलब्ध होगा| राज्यों की ज़िम्मेदारी है की वो सार्वजनिक, निजी भागीदारी सहित कई स्रोतों से स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में उल्लिखित परियोजनाओं के लिए धन की तलाश करें| प्रत्येक स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव में 'वित्तीय योजना' शामिल करना आवश्यक है जिसमे मूल्य निर्धारण लागत, संसाधन योजना, राजस्व और लौटाने के तंत्र का विस्तृत विवरण, संचालन और रखरखाव की लागत, वित्तीय समयसीमा और वित्तीय जोखिम को कम करने की योजनाओं, और वसूली के लिए योजनायों की जानकारी होगी| 'स्मार्ट सिटी' के चयन में वित्तीय योजना की क्षमता एक महत्वपूर्ण मानदंड है|

अन्य योजनाओं के साथ संमिलन:

SCM दिशानिर्देश, केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ पूरकता का सुझाव देते हैं| दिशानिर्देश विशेष रूप से अन्य केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ स्मार्ट सिटी प्रस्ताव की परियोजनाओं के अभिसरण पर बल देते हैं;, जिसमे निम्नलिखित योजनायें प्रमुख हैं;
शहरी कायाकल्प और परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT); EWS और LIG के लिए आवास प्रदान करने हेतु 'प्रधान मंत्री आवास योजना (2022 तक सब के लिए आवास)'; भारत में स्वच्छता को संबोधित करने के लिए 'स्वच्छ भारत मिशन'; समावेशी शहरी नियोजन और 'विरासत शहरों' के संरक्षण के लिए 'राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (HRIDAY)'; और डिजिटल पहुँच और इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि के लिए 'डिजिटल इंडिया प्रोग्राम'|

सभी शॉर्टलिस्ट किए गए 'स्मार्ट शहरों' के प्रस्तावों में 'कन्वर्जेंस एजेंडा' नामक एक अनुभाग शामिल करना आवश्यक है, जिसमें ऐसे योजनाओं या कार्यक्रमों को निर्दिष्ट करना है जिनसे धन का आवंटन होगा|

क्रियान्वयन:

एससीएम दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक 'स्मार्ट सिटी' में स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) नामक एक नई इकाई बनाने की आवश्यकता है, जिसे शहर-स्तर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक

सीमित कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा| इसमे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और यूएलबी 50:50 इक्विटी शेयरहोल्डिंग वाले प्रमोटर होंगे। एसपीवी शहर स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन के लिए योजना, मूल्यांकन, अनुमोदन, धनराशि जारी करना, प्रबंधन, संचालन, निगरानी और विकास परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगा। निर्देशकों का मंडल, एसपीवी की अध्यक्षता करेंगे और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहर के यूएलबी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एसपीवी में इक्विटी हिस्सेदारी के लिए वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र की कंपनियों पर विचार किया जा सकता है| लेकिन, सरकारी निकायों की इसमें संचयी बहुमत हिस्सेदारी होनी चाहिए। मिशन का प्रभावी कार्यान्वयन एसपीवी के विकास और उसके सुचारु संचालन पर निर्भर है।

निगरानी:

मिशन की निगरानी राष्ट्रीय, राज्य और शहर के स्तर पर होगी। एक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च समिति - जिसमे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और परस्त्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, राज्यों के प्रमुख सचिव, और एसपीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शामिल हैं, उनकी प्रगति की निगरानी करेंगे और धन जारी करेंगे। राज्य स्तर पर, एक उच्च शक्ति संचालन समिति -राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधियों से मिलकर- मिशन की निगरानी करेगा, जिसमें स्मार्ट सिटी प्रस्तावों की समीक्षा भी शामिल है। शहर के स्तर पर, विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को सक्षम करने के लिए एक स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम बनाया जाएगा। फोरम में शहर के महापौर, सांसद, विधान सभा के सदस्य, एसपीवी के सीईओ, गैरसरकारी - संगठनें(एनजीओ) , तकनीकी विशेषज्ञ और स्थानीय युवा शामिल होंगे।

2. प्रथम 60 स्मार्ट सिटी मिशन प्रस्तावों का विश्लेषण

आवास और भूमि अधिकार संगठन (एचएलआरएन), दिल्ली द्वारा प्रस्तुत यह अध्ययन, स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत मानवाधिकारों का मूल्यांकन करता है। भारत के शहरों के कम आय वाले निवासियों के लिए इस मिशन का क्या मतलब है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पहले 60 स्मार्ट सिटी प्रस्तावों का विश्लेषण, विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस / एलआईजी के लिए आवास के प्रावधानों का आकलन करने से यह प्रत्यक्ष हुआ है कि:

1. शहर के किसी भी प्रस्ताव में मानव अधिकारों का दृष्टिकोण शामिल नहीं है और न ही गैर-भेदभाव या समानता के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है; न ही वे धार्मिक अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के सीमांत और भेदभाव वाले वर्गों की चिंताओं को प्राथमिकता देते हैं।

2. स्मार्ट सिटी प्रस्ताव गर्व से ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए प्रदान किए गए आवास /को सूचीबद्ध करते हैं| फिर भी, अधिकांश शहरों में ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए मौजूदा आवास की कमी को पूरा करने के / लिए अभी भीये अपर्याप्त है| इसके अलावा, ये प्रस्ताव विभिन्न योजनाओं के तहत बेदखल किये गए परिवारों व ध्वस्त ईडब्ल्यूएस एलआईजी घरों की संख्या / नहीं दर्शाते हैं| चयनित शहरों में निर्धारित समय सीमा के भीतर किफायती आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कई शहरों में अधिक घरों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है जो की मिशन के तहत परिकल्पित लक्ष्यों के बिलकुल विपरीत है| उदाहरण के लिए, धर्मशाला का एससीएम प्रस्ताव एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के तहत 'झोपड़ीनिवासियों-' के लिए 212 घरों के निर्माण का प्रस्ताव करता है, जबकि 2016 में धर्मशाला के नगर निगम द्वारा 300 घरों को ध्वस्त कर दिया गया|

3. मिशन के प्रस्तावों में ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए आवास के मुद्दे को उठाने के बावजूद /, किसी भी शहर ने मानव अधिकार के रूप में आवास को मान्यता नहीं दी है या इसकी पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए मानकों को शामिल किया है| इसके बजाय, स्मार्ट सिटी प्रस्तावों निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जैसे - 'झोपड़ी' उन्नयन और पुनर्वास; सस्ती और समावेशी आवास प्रदान करना;" सब के लिए आवास - 2022 "योजना के अंतर्गत 'झुग्गीमुक्त-' शहरों को सुनिश्चित करना; किफायती आवास खंड में ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 15 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना; और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण| प्रस्तावों में से कोई भी 'किफायती आवास' की व्यापक परिभाषा प्रदान नहीं करता है; न ही इसमें शहरी गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था कैसे की जाएगी, इसके बारे में ठोस योजनाएं शामिल हैं|

4. केवल कुछ शहरों, जैसे भागलपुर, भुवनेश्वर, धर्मशाला, लुधियाना, जयपुर, रायपुर, मदुरै, सलेम और मंगलगुरु के प्रस्तावों में बेघर के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं|

5. नई दिल्ली नगर निगम परिषद ने परियोजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों से संबंधित अपने फैसलों को सही ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक चुना है| प्रस्ताव में, वर्ष 2025 तक एनडीएमसी क्षेत्र में हर 100,000 लोगों के लिए पांच बेघर व्यक्तियों के दुबई के मानक को अपनाया गया है| हालांकि, प्रस्ताव यह निर्दिष्ट नहीं करता कि लोग बेघर अवस्था से कैसे बाहर लाये जायेंगे और आवास उपलब्ध कराए जायेंगे; न ही यह अपने बेघर आबादी के भविष्य पर चर्चा करता है| इसके बजाय, यह 'विश्व स्तर का शहरी क्षेत्र' की परिकल्पना करता है| इस प्रस्ताव ने सड़क विक्रेताओं को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे शहरी गरीब निवासियों की आजीविका पर व्यापक असर होगा|

6. शहर के प्रस्तावों में से कोई भी सड़क के बच्चों, प्रवासियों, विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, और हाशिए पर लाए गए महिलाओं की आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट उपायों की चर्चा नहीं करता है|

3. मानवाधिकार संबंधी चिंता और चुनौतियां

स्मार्ट सिटीज मिशन की संरचना और प्रक्रिया के साथ-साथ 60 चयनित स्मार्ट सिटी प्रस्तावों के मानवाधिकारों के विश्लेषण के आधार पर, कुछ प्रमुख मानवाधिकारों की चिंताओं और चुनौतियों की पहचान की गई|

1. विकास के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने में विफलता: भारत के 4000 से अधिक शहरों और कस्बों में से केवल 100 को 'स्मार्ट शहरों' के रूप में विकसित करने की पूरी धारणा भेदभावपूर्ण लगती है| मिशन कृषि संकट, ग्रामीण संकट, भूमि सुधार में असफलता और शहरी प्रवास जैसे संरचनात्मक कारणों को संबोधित किए बिना वृहद् शहरीकरण को बढ़ावा देता है| यद्यपि छोटे शहरों के विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य उल्लेखनीय है, यह मिशन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित वाहन नहीं लगता है| चूंकि 60 से अधिक शॉटलिस्ट किए गए 'स्मार्ट शहरों' में से 56 को कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (एएमआरयूटी) के लिए अटल मिशन में शामिल किया गया है और देश की कथित सबसे अमीर नगरपालिका- नई दिल्ली नगर परिषद भी 'स्मार्ट शहरों' में से एक है, चयन के लिए मापदंड के साथ-साथ मिशन की उपयोगिता और लाभ स्पष्ट नहीं हैं| इसके अलावा, सबसे अच्छे प्रस्ताव वाले शहरों की बजाय सबसे ज़रूरतमंद शहरों को प्रमुखता देने की अधिक आवश्यकता है |

2. मानव अधिकार के दृष्टिकोण का अभाव: मिशन और स्मार्ट सिटी प्रस्ताव मानव अधिकार दृष्टिकोण अपनाने में विफल हैं| महिलाओं, बच्चों और उपेक्षित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, प्रवासियों, घरेलू श्रमिकों, और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर चुप्पी चिंतनीय है| मानवाधिकार मानकों और कार्यान्वयन की निगरानी के संकेतकों की कमी यह प्रश्न भी उठाते हैं कि मिशन सभी शहर निवासियों, विशेषकर कम आय समूहों और अन्य वंचित समुदायों की जीवन शैली में सुधार करने में सक्षम होगा या नहीं|

3. लोकतंत्र का क्षरण: विशेष प्रयोजन वाहन की संरचना, चुनी हुई सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को बाधित करने की इसकी क्षमता और जवाबदेही की स्पष्ट कमी, लोकतंत्र के भौतिक मूल्यों के प्रतिकूल है|

4. भागीदारी और सूचना के अधिकारों को नकारना: स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में निवासियों, विशेषकर कम आय वाले समूहों की भागीदारी सीमित है| इसके अलावा चयन के मानदंड सहित मिशन के विभिन्न आयामों से संबंधित पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की गई है|

5. जबरन बेदखली और विस्थापन: अपने प्रस्तावों में कम आय वाले समूहों के लिए आवास के मुद्दे को उठाने के बावजूद चयनित शहरों के प्रस्तावों में लक्ष्य निर्धारण के लिए परिचालन सम्बंधित परियोजना शामिल नहीं किया गया है न ही उनमें आवास के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए आवास मानकों को शामिल किया गया है| इसके बजाय, 'स्मार्ट सिटी' से संबंधित परियोजनाओं के लिए बेदखली की आशंका और खतरों को पहले से ही धर्मशाला, इंदौर, भुवनेश्वर और दिल्ली में दर्ज किया गया है| ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण के परिणामस्वरूप खेती और जंगलों के नुकसान की संभावना है और ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा और विस्थापन पर विपरीत असर की आशंका है|

6. प्रौद्योगिकी पर अवास्तविक निर्भरता और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन: जब मिशन डिजिटलकरण और प्रौद्योगिकी आधारित 'स्मार्ट समाधान' पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अकेले तकनीकी नवाचार संरचनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं| इसके अलावा, निवासियों की सूचना से समेकित इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का निर्माण गंभीर गोपनीयता की चिंताओं, पहचान की चोरी, अनधिकृत निगरानी, डेटा दुरुपयोग और सुरक्षा उल्लंघनों को जन्म दे सकता है|

7. विदेशी और निजी क्षेत्र के निवेश पर अधिक निर्भरता: मिशन को वित्तपोषण के लिए विदेशी निवेश और कॉर्पोरेट क्षेत्र पर निर्भरता अधिक है| एससीएम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परामर्शदात्री डेलॉइट ने 150 अरब अमरीकी डालर (निजी क्षेत्र से 120 अरब) के अपेक्षित निवेश का अनुमान लगाया है| शहर के विकास प्रक्रियाओं के कॉर्पोरेट नियंत्रण के बारे में चिंताओं के अतिरिक्त, यह स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित कॉरपोरेट सेक्टर, मिशन की सबसे बड़ी लाभार्थी होने की संभावना है|

8. लिंग समानता और गैर-भेदभाव के दृष्टिकोण का अभाव: शहरों में महिलाओं द्वारा गंभीर असमानता का सामना करने के बावजूद, स्मार्ट सिटीज मिशन में काफी हद तक लिंग-तटस्थ दृष्टिकोण है| महिलाओं

के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान और सार्वजनिक परिवहन विकल्प तैयार करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है और घरेलू कामगारों, प्रवासियों, कम आय वाले समूहों की महिलाओं, और एकल महिलाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए कोई योजना नहीं है। एससीएम दिशा-निर्देशों और न ही स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में गैर-भेदभाव के ढांचे को शामिल किया गया है ताकि वृद्ध व्यक्तियों, यौन और धार्मिक अल्पसंख्यकों, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों सहित, हाशिए पर आये लोगों और समुदायों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

9. पर्याप्त आवास के लिए मानवीय अधिकार का उल्लंघन: आवास को मानव अधिकार के रूप में पहचानने में विफलता और स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में 'पर्याप्त आवास का मानव अधिकार' के ढ़ांचे का अभाव, कम आय वाले बस्तियों को शहर के परिधि इलाकों में जबरन विस्थापित करने की प्रवित्ति को बढ़ावा देगा। वर्ष 2016 में, कमज़ोर सामाजिक-आर्थिक समुदाय के सदस्यों जैसे प्रवासी मजदूरों और कम आय वाले निवासियों को पुनर्विकास सहित 'स्मार्ट सिटी' परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्कासन की धमकी का सामना करना पड़ा। इसके आलावा, 'किफायती आवास' की एक स्पष्ट परिभाषा के अभाव में ईडब्ल्यूएस / एलआईजी के लिए आवास लक्ष्यों की उपलब्धि अधिक कठिन है, क्योंकि कई योजनाएं जो कि 'सस्ती आवास' को वास्तविकता में प्रदान करने का दावा करती हैं, केवल मध्य और ऊपरी मध्यम आय समूहों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं।

10. शहरों का व्यापारीकरण: स्मार्ट सिटीज मिशन में नियुक्त वित्त के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल, कम आय और हाशिए वाले समूहों के हित के लिए हमेशा काम नहीं करता है। इस तरह की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी, सरकार के मानव अधिकारों की सुरक्षा और भारत के संविधान द्वारा सौंपी गई कल्याणकारी कार्य को पूरा करने के उत्तरदायित्व को कमज़ोर करता है। स्मार्ट सिटीज मिशन ने नए कानूनों के विकास को भी प्रेरित किया है जो भारत के शहरीकरण में कॉर्पोरेट क्षेत्र के हितों को बढ़ावा देता है। इससे भारतीय शहरों के बढ़ते व्यापारीकरण, स्थानीय और राष्ट्रीय प्रशासन पर प्रतिकूल असर, एवं निवासियों के मौलिक अधिकारों के हनन की प्रवीती भी उजागर होती है।

11. निगरानी निकायों में शहर निवासियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: कई स्तरों पर मिशन को लागू करने के लिए बनाई गई विभिन्न निकायों में पर्याप्त रूप से स्थानीय प्रतिनिधि नहीं हैं। नतीजतन, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि लोगों की चिंताओं को मिशन की क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में शामिल किया जाए या सरकार वंचित समूहों के समावेश और कल्याण की दिशा में काम करेगी।

12. सम्मिलन और स्पष्टता की कमी: 60 चयनित 'स्मार्ट शहरों' में से 56 AMRUT (एएमआरयूटी) योजना के तहत भी शामिल किए गए हैं, जिससे स्मार्ट सिटीज मिशन की पूरी आवश्यकता पर सवाल उठता है। सरकार समान इरादों के साथ दो या अधिक योजनाओं के तहत उसी शहर को वित्तपोषण कैसे करेगी? स्मार्ट सिटी' का एसपीवी, एएमआरयूटी और (HRIDAY) एचआरआईडीए के कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ किस प्रकार तालमेल होगा, और विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनायें पूरक होंगे या एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, अभी तक देखा जाना बाकी है। साथ ही, यह स्पष्ट नहीं है कि एससीएम प्रधान मंत्री आवास योजना से किस प्रकार सम्बंधित है, जिससे निजी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता का संकेत मिलता है।

13. कार्यान्वयन की चुनौतियां: स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत अनुमोदित कुल 731 परियोजनाओं में से केवल 49 परियोजनाओं (6.7 फीसदी) में जमीनी कार्यान्वयन शुरू हुआ है, जबकि 24 परियोजनाएं (3.3 फीसदी) जनवरी 2017 में पूरी हो चुकी हैं। कई शहरों में अपर्याप्त वित्तपोषण, एसपीवी से सम्बंधित विलम्ब, और विभिन्न हितधारकों में रुचि की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। शहरी विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्ट सिटीज मिशन से पहले असली चुनौती बेहतर शहरी प्रशासन और सेवाओं के कुशल वितरण के लिए बेहतर संस्थागत तंत्र स्थापित करना है।

4. सिफारिशें

स्मार्ट सिटीज मिशन में मानव अधिकार दृष्टिकोण की अनुपस्थिति के प्रकाश में, हाउसिंग और लैंड राइट्स नेटवर्क, सरकार के साथ-साथ अन्य एजेंसियों को निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तावित करती है।

1. मिशन के सभी चरणों में मानव अधिकार और सामाजिक न्याय दृष्टिकोण शामिल करें, और इसके कार्यान्वयन और प्रगति पर निगरानी रखने के मानकों और मानवाधिकार आधारित संकेतक विकसित करें। 'स्मार्ट सिटी' परियोजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप किसी भी मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

2. किसी भी 'स्मार्ट सिटी' परियोजना को स्वीकृति देने से पहले व्यापक मानवाधिकार और पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करें। किसी भी परियोजना के कार्यान्वयन से पहले सभी प्रभावित व्यक्तियों की दबाव रहित, पूर्व, और सूचित सहमति सुनिश्चित करें।

3. मिशन के विकास और कार्यान्वयन के हर चरण में, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिए समूहों की भागीदारी को सुनिश्चित करें।

4. विशेष प्रयोजन वाहन के ढांचे और परिचालन सिद्धांतों को संशोधित करके यह सुनिश्चित करें कि यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतंत्र के ढांचे के अनुरूप काम करे।

5. एकीकृत ग्रामीण और शहरी विकास को बढ़ावा दें, ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करें और बजट आवंटन और नीति के हस्तक्षेप के माध्यम से तीव्र कृषि संकट, भूमि-हथियाने, भूमिहीनता, आंतरिक विस्थापन और प्रवास के मुद्दों को संबोधित करें|

6. स्मार्ट सिटीज मिशन की अन्य सरकारी योजनाओं के साथ, विशेष रूप से एएमआरयूटी, प्रधान मंत्री आवास योजना/ सबके लिए आवास -2022, स्वच्छ भारत मिशन, और हेरिटेज सिटी विकास और विकास योजना (एचआरआईडीए) - जिसमें चयनित चार 'स्मार्ट शहरों ' शामिल हैं) के लिए व्यापक अभिसरण सुनिश्चित करें।

7. सभी योजनाओं पर नजर रखने के लिए एक व्यापक मानव अधिकार और पर्यावरण ढांचे का विकास करें। स्मार्ट सिटीज मिशन के क्रियान्वयन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेण्डे 2030 और पेरिस एग्रीमेंट के साथ जोडें, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबद्धताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करें।

8. कॉर्पोरेट क्षेत्र की भूमिका को नियंत्रित करें, बुनियादी सेवाओं के निजीकरण को रोकें, और यह सुनिश्चित करें कि सभी निजी और विदेशी निवेश परियोजनाएं मानवाधिकार और पर्यावरण कानूनों और मानकों का पालन करती हैं।

9. सुनिश्चित करें कि तकनीकी और बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएं समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं, और स्थानीय आवश्यकताओं, व्यापक आवश्यकता मूल्यांकन, स्पष्ट दिशानिर्देश, और मानव अधिकार सिद्धांतों पर आधारित हैं।

10. पर्याप्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष संवाददाता की स्मार्ट सिटीज मिशन से सम्बंधित सिफारिशों को लागू करें, और सामाजिक-आर्थिक और टिकाऊ विकास, आवास, जल, स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण से सम्बंधित भारत की तीसरी यूनिवर्सल आवधिक समीक्षा की सिफारिशें भी लागू करें।

11. ईडब्ल्यूएस / एलआईजी, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बेघर और भूमिहीन व्यक्तियों, प्रवासियों, घरेलू कामगारों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, बुजुर्गों, धार्मिक और लैंगिक

अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों, और अन्य हाशिए समूहों और समुदायों की चिंताओं और अधिकारों पर विशेष ध्यान केंद्रित करें|

12. स्पष्ट आय आधारित मानदंडों के साथ 'किफायती आवास' को परिभाषित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ईडब्ल्यूएस / एलआईजी के वित्तीय साधनों के भीतर है| स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय की योजना - राष्ट्रीय शहरी जीवनी मिशन के मानकों को एकीकृत करें| 'स्मार्ट सिटी' परियोजनायों में तत्रस्थ उन्नयन को प्राथमिकता दें और शहरी परिधि में स्थानांतरण रोकें|

13. शहर के मास्टर प्लान के साथ मिशन की अनुरूपता सुनिश्चित करें और 'स्मार्ट सिटी' परियोजनाओं में आवास, टिकाऊ विकास पर्यावरण संरक्षण, आपदाओं और विस्थापन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों और दिशानिर्देशों को शामिल करें|

14. 'स्मार्ट शहरों' के चयन के लिए प्रतिस्पर्धा प्रारूप को संशोधित करें| 'स्मार्ट शहरों' के चयन के लिए विकास के स्तर, गरीबी, सामाजिक असमानता, कुपोषण, और अभाव जैसे संकेतकों पर आधारित एक अधिक पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया का विकास करें|

15. सभी के लिए 'शहर के अधिकार' की प्राप्ति पर ध्यान दें और भारत द्वारा नई शहरी एजेंडा (2016) को अपनाने और लागू करने की प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें|

5. निष्कर्ष

हालाँकि छोटे शहरों के विकास की प्रक्रिया सकारात्मक है, स्मार्ट सिटी मिशन समावेशी विकास हासिल करने का सबसे अच्छा साधन नहीं हो सकता है, क्योंकि यह भारत के 4000 शहरों और कस्बों में से केवल 100 पर केंद्रित है| यह अध्ययन सावधान करता है कि शहरी गरीबों और हाशिए वाले समूहों पर ध्यान के अभाव में आवास के मानव अधिकार के साथ-साथ पानी, स्वच्छता, भोजन, काम/आजीविका, भूमि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना, भागीदारी, और व्यक्ति और आवास की सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है| इस रिपोर्ट में पेश किए गए मुद्दों में यह भी सवाल उठाते हैं कि 'स्मार्ट शहर' वास्तव में भारतीय शहरीकरण की संरचनात्मक समस्याओं को हल करेंगे या फिर सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, गरीबी, पृथक्करण और असमानता को बढ़ाएंगे|

स्मार्ट सिटीज मिशन से संबंधित कई चिंताओं और चुनौतियों को देखते हुए, एचएलआरएन को उम्मीद है कि सभी संबंधित एजेंसियों - राज्य और गैर-राज्य - इस रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशों को लागू करने पर विचार करेंगे| एचएलआरएन का मानना है कि स्मार्ट सिटीज मिशन समेत सभी नीतियों और योजनाओं में

एक मजबूत मानव अधिकार दृष्टिकोण को अपनाना, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर, सरकार के लिए महत्वपूर्ण है|

अनुलग्नक 1

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित शहरों की सूची

1. भुवनेश्वर
2. पुणे
3. जयपुर
4. सूरत
5. कोच्चि
6. अहमदाबाद
7. जबलपुर
8. विशाखापत्तनम
9. सोलापुर
10 दावणगेरे
11. इंदौर
12. नई दिल्ली
13. कोयंबटूर
14. काकीनाडा
15. बेलगाम
16. उदयपुर
17. गुवाहाटी
18. चेन्नई
19. लुधियाना
20. भोपाल
21. लखनऊ
22. भागलपुर
23. न्यू टाउन, कोलकाता *
24. फरीदाबाद
25. चंडीगढ़
26. रायपुर
27. रांची
28. धर्मशाला
29. वारंगल
30. पणजी
31. अगरतला
32. इंफाल
33. पोर्ट ब्लेयर
34. अमृतसर
35. कल्याण
36. उज्जैन
37. तिरुपति
38. नागपुर
39. मंगलौर
40. वेल्लोर
41. ठाणे
42 ग्वालियर
43 आगरा
44 नासिक
45 राउरकेला
46. कानपुर
47. मदुरै
48. तुमकुरु
49 कोटा
50. तंजावुर
51. नामची
52. जालंधर
53. शिमोगा
54. सलेम
55 अजमेर
56. वाराणसी
57. कोहिमा
58. हुबली, धारवाड़
59 औरंगाबाद
60. वडोदरा
61. तिरुवंतपुरम
62. नया रायपुर
63. राजकिट
64 अमरावती
65. पटना
66. करीमनगर
67. मुजफ्फरपुर
68. पुडुचेरी
69 गांधीनगर
70. श्रीनगर
71 सागर
72. करनाल
73. सतना
74 बेंगलुरु
75 शिमला
76 देहरादून
77 तिरुपूर
78. पिंपरी चिंचवाड़
79 बिलासपुर
80 पासीघाट
81. जम्मू
82. दाहोद
83 तिरुनेलवेली
84. थूतुक्कुदी
85 तिरुचिरापल्ली
86. झांसी
87. आइजोल
88. इलाहाबाद
89. अलीगढ़
90. गंगटोक

*नया शहर, कोलकता नें स्मार्ट सिटी मिशन से बाहर होने का फैसला किया है|